



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 32 of 2024

Sub.: Re-allocation of subjects in Gati Shakti Dte.

Consequent to joining of two (02) Executive Directors, it has been decided to revise the duty list of EDs [ED/GS(Civil-1), ED/GS(Civil-2), ED/GS(Civil-3), ED/GS/Urban & Rapid Rail Transit and ED/GS(Traffic)] of Gati Shakti Dte.

2. Accordingly, in supersession to Board's Office Order No. 12 of 2024 and in partial modification of Board's Office Order No. 37 of 2022, the revised allocation of duties of above-mentioned EDs of Gati Shakti Dte. is attached as **Annexure-I**. Further, the duties of **EDGS/Fin.**, **EDGS/S&T** and **EDGS/Elect.** as detailed in Office Order No. 37 of 2022, would continue to remain as earlier.

3. The above issues with the approval of the competent Authority.

No.2024/O&M/6/2
Dated: 28.06.2024

(T.Srinivas)

Joint Secretary/Railway Board
Email id: t.srinivas1@gov.in
Tele No.: 011-47845551

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Dayabasti,
New Delhi

Copy to:-

CRB&CEO, MF, MI, M/O&BD, M/TRS
ED(Coord.)/GS, ED/GS(Civil-1), ED/GS(Civil-2), ED/GS(Civil-3),
ED/GS/Urban & Rapid Rail Transit, ED/GS(Traffic)
EDGS/Fin., EDGS/S&T and EDGS/Elect.

Copy for information to:-

EDPG/MR, JDPG/MOSR(S), Sectt. Of MOSR(R).

Room No.229, 2nd Floor, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001

Annexure-I

Item in Para No. 1 of Annexure-I (O.O No. 37 of 2022)	New S.No.	Officers	Existing Brief Duty List as per O/O No. 12 of 2024	Revised Duty List
II	II	ED/GS (Civil-1)	Appraisal and Sanctioning of Projects, Detailed estimates/ Revised estimates, Sanction and examination of surveys, DPRs. Plan Head 11 – New Line Plan Head 14 – Gauge Conversion Plan Head 15 – Doubling	Appraisal and Sanctioning of Projects, Detailed estimates/ Revised estimates of following PHs. Plan Head 11 – New Line Plan Head 14 – Gauge Conversion Plan Head 15 – Doubling Plan Head 16 – Traffic Facility Sanction and examination of surveys, DPRs.
III	III	ED/GS (Civil-2)	Progress & Monitoring of sanctioned Projects Plan Head 11 – New Line Plan Head 14 – Gauge Conversion Plan Head 15 – Doubling Plan Head 16 – Traffic Facility Plan Head 81 – Sanction and Progress, Monitoring of MTP Projects, State JVs.	Progress & Monitoring of sanctioned Projects Plan Head 11 – New Line Plan Head 14 – Gauge Conversion Plan Head 15 – Doubling
-	III-A	ED/GS (Civil-3)	-	Database management of all ongoing works & presentations of all works. IT works for database and reporting. Inter-State Council, DONER, NITI AAYOG issues and coordinate with respective sections to deal with Audit cases & Parliamentary Questions and Committees.
-	III-B	ED/GS/ Urban & Rapid Rail Transit [Assisted by Dir./GS/C-IV]	-	Plan Head 81 – Sanction and Progress, Monitoring of MTP Projects, State JVs. All issues pertaining to above PH & State JVs. All issues related to Semi- High Speed/ High Speed Rail Corridors. Coordination and issue resolution with States of West Bengal and Maharashtra.
IV	IV	ED/GS (Traffic)	Scrutiny of survey reports, DPRs of New Line, GC, Doubling, Traffic Facilities from Traffic requirement and overall Planning perspective, recommending investment proposals (Planning). Prioritizing the works as per operational requirements.	Scrutiny of survey reports, DPRs of New Line, GC, Doubling, Traffic Facilities from Traffic requirement and overall Planning perspective, recommending investment proposals (Planning). Prioritizing the works as per operational requirements. Co-ordinating appraisal & sanction of PH-16-Traffic Facility and progress & monitoring of sanctioned Traffic Facility Works.

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2024 का कार्यालय आदेश सं. 32

विषय: गति शक्ति निदेशालय में विषयों का पुनः आवंटन।

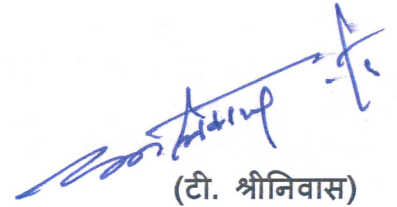
दो (02) कार्यपालक निदेशकों के कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, गति शक्ति निदेशालय को कार्यपालक निदेशकों [कार्यपालक निदेशक/गति शक्ति (सिविल-1), कार्यपालक निदेशक/गति शक्ति (सिविल-2), कार्यपालक निदेशक/गति शक्ति (सिविल-3), कार्यपालक निदेशक/गति शक्ति/शहरी एवं त्वरित रेल ट्रांजिट और कार्यपालक निदेशक/गति शक्ति (यातायात)] की इयूटी सूची को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

2. तदनुसार, 2024 के बोर्ड कार्यालय के आदेश संख्या 12 के अधिक्रमण में और 2022 के बोर्ड कार्यालय के आदेश संख्या 37 में आंशिक संशोधन करते हुए, गति शक्ति निदेशालय के उपर्युक्त कार्यपालक निदेशक के इयूटी का संशोधित आवंटन अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। इसके अलावा, जैसा कि 2022 के कार्यालय आदेश संख्या 37 में बताया गया है, कार्यपालक निदेशक/वित्त, कार्यपालक निदेशक/एसएंडटी और कार्यपालक निदेशक/विद्युत की इयूटी पहले की तरह जारी रहेगी।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं. 2024/ओएंडएम/6/2

नई दिल्ली, दिनांक: 28.06.2024



(टी. श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

ई मेल:-t.srinivas1@gov.in

फोन नं- 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

अध्यक्ष/रेलवे बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य/वित्त, सदस्य/अवसंरचना, सदस्य/परिचालन एवं व्यवसाय विकास, सदस्य/कर्षण एवं चल स्टॉक, कार्यपालक निदेशक (समन्वय)/गति शक्ति, कार्यपालक निदेशक/गति शक्ति/(सिविल1), कार्यपालक निदेशक/गति शक्ति/(सिविल2), कार्यपालक निदेशक/गति शक्ति/(सिविल3), कार्यपालक निदेशक/गति शक्ति/शहरी एवं त्वरित रेल ट्रांजिट, कार्यपालक निदेशक/गति शक्ति/(यातायात), कार्यपालक निदेशक/गति शक्ति/वित्त, कार्यपालक निदेशक/गति शक्ति/एसएंडटी और कार्यपालक निदेशक/गति शक्ति/विद्युत।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

कार्यपालक निदेशक/जन शिकायत/रेल मंत्री, संयुक्त निदेशक/जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस), सचिव/जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (आर)

अनुलग्नक-1

अनुलग्नक-I के पैरा 1 में मद(2022 का कार्यालय आदेश सं. 37)	नई क्र.सं	अधिकारी	2024 के कार्यालय आदेश सं. 12 के अनुसार मौजूदा संक्षिप्त इयूटी लिस्ट	संशोधित इयूटी लिस्ट
II	II	कार्यपालक निदेशक/गति शक्ति (सिविल-1)	परियोजनाओं, विस्तृत अनुमान/संशोधित अनुमान का मूल्यांकन और स्वीकृति देना, सर्वेक्षणों और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की स्वीकृति और जांच। योजना शीर्ष 11 - नई लाइन योजना शीर्ष 14 - आमान परिवर्तन योजना शीर्ष 15 - दोहरीकरण	परियोजनाओं, निम्नलिखित योजना शीर्षों के विस्तृत अनुमान/संशोधित अनुमान का मूल्यांकन और स्वीकृति। योजना शीर्ष 11 - नई लाइन योजना शीर्ष 14 - आमान परिवर्तन योजना शीर्ष 15 - दोहरीकरण योजना शीर्ष 16 - यातायात सुविधाओं की स्वीकृति देना, सर्वेक्षणों और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच।
III	III	कार्यपालक निदेशक/गति शक्ति (सिविल-2)	योजना शीर्ष 11 - नई लाइन योजना शीर्ष 14 - आमान परिवर्तन योजना शीर्ष 15 - दोहरीकरण योजना शीर्ष 16 - यातायात सुविधाओं संबंधी स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति और निगरानी योजना शीर्ष 81 - एमटीपी और राज्य संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की स्वीकृति निगरानी, और प्रगति।	योजना शीर्ष 11 - नई लाइन योजना शीर्ष 14 - आमान परिवर्तन योजना शीर्ष 15 - दोहरीकरण इन सभी से संबंधित स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति और निगरानी
	III-ए	कार्यपालक निदेशक/गति शक्ति (सिविल-3)		सभी जारी कार्यों का डेटाबेस प्रबंधन और सभी कार्यों की प्रस्तुति। डेटाबेस के लिए आईटी संबंधी कार्य और रिपोर्ट करना। अंतर-राज्य परिषद, डीओएनईआर, नीति आयोग संबंधी मामले, लेखापरीक्षा मामलों और संसदीय प्रश्नों और समितियों संबंधी मामलों के निपटान के लिए संबंधित अनुभागों के साथ समन्वय।

	III- बी	कार्यपालक निदेशक/गति शक्ति/शहरी एवं त्वरित रेल ट्रांजिट [निदेशक/गति शक्ति (सिविल-IV) की मदद से]		योजना शीर्ष 81 - एमटीपी परियोजनाओं, राज्य संयुक्त उद्यम की स्वीकृति, प्रगति, और निगरानी। उपरोक्त योजना शीर्ष और राज्य संयुक्त उद्यम से संबंधित सभी मामले। सेमी-हाई स्पीड/हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से संबंधित सभी मामलों। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों के साथ समन्वय और मामलों का समाधान।
IV	IV	कार्यपालक निदेशक/गति शक्ति (यातायात)	सर्वेक्षण रिपोर्टों, नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच, यातायात आवश्यकताओं और समग्र नियोजन परिप्रेक्ष्य के अनुसार यातायात सुविधाओं, निवेश प्रस्तावों की सिफारिश करना (योजना), परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों की प्राथमिकता निर्धारण।	सर्वेक्षण रिपोर्टों, नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच। यातायात आवश्यकताओं और समग्र नियोजन परिप्रेक्ष्य के अनुसार यातायात सुविधाओं, निवेश प्रस्तावों की सिफारिश करना (योजना), परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों की प्राथमिकता निर्धारण। योजना शीर्ष 16 - यातायात सुविधाओं संबंधी कार्यों का समन्वय, मूल्यांकन और स्वीकृति। यातायात सुविधाओं संबंधी कार्यों को स्वीकृत करना, प्रगति और निगरानी।